

:: अनुज्ञप्तिधारि स्थानों की निरीक्षण टीप अंकित करने बाबत ::

विक्रेता अनुज्ञप्ति क्रमांक- 349

1. प्रस्तावना
2. अनुज्ञप्तिधारी का नाम एवं पता
3. अनुज्ञप्ति क्रमांक
4. अनुज्ञप्ति जन्म से कब तक स्वीकृत है ?
5. संस्थान के निरीक्षण का दिनांक
6. अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी किन-किन उपकरणों के बेचने हेतु अधिकृत है ?
7. अधिकारी का नाम जिसके द्वारा निरीक्षण किया गया है ?
8. अनुज्ञप्ति सहल गोवर स्थान पर पाई गई अथवा नहीं ?
9. नाप-तौल उपकरणों के लिये क्या अलग से केश-मेमो प्रदाय किया जाता है या नहीं ?
10. केश-मेमो में खरीददार का नाम व पता दिया जाता है अथवा नहीं ?
11. बेचे गए उपकरणों की संख्या आदि का उल्लेख किया जाता है या नहीं ?
12. राज्य के बाहर से मंगाए गए उपकरणों की प्रविष्टि पंजी में की जाती है या नहीं ?
13. बाहर से बुलाए गए माल की क्षमता अनुसार प्रविष्टि होती है अथवा नहीं (पत्र क्रं. 6439/दिनांक द्वारा निर्देशित जानकारी)

श्री ० पाहवा इण्डस्ट्रियल ग्रुप कम्पनी
 श्री ० विजय पाहवा नागीपार श्री श्रीलालि
 गौहरिया, झारखण्ड २०१०१
 पिपलानी रापसग रापसग
 349
 दि० 26-8-09 से 31-12-09 तक
 दिनांक 23-9-09
 इलेक्ट्रिक टॉल यन्त्र "ली जेड"
 के निर्माण हेतु
 श्री ० एच० जिल निरीक्षक
 पाई गई

~~दिनांक जिविगा ।~~
~~दिनांक जिविगा ।~~
~~दिनांक जिविगा ।~~
~~की जाती है ।~~
~~प्रविष्टि होती है ।~~

- (1) मासिक प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि
- (2) विक्रेता स्वयं के उपयोग में आने वाले उपकरणों का से सत्यापन

जानकारी उपलब्ध है ।
 निर्माता अनुज्ञप्ति के आवश्यकता नहीं होती है ।